



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239245  
CG-DL-E-30092022-239245

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478]  
No. 478]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ ASVINA 8, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान  
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/052/18/डीडी/12/आईएनएफ/19/डीसी/1355/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. आनंद मल्लिकार्जुन उकामनल (सदस्यता संख्या 130139), पुत्र श्री एम जी उकामनल, अशोक भवन, एस एस मंदिर के पीछे, विजयपुरा 586 101 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (5), (6), (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. आनंद मल्लिकार्जुन उकामनल (सदस्यता संख्या 130139) के नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 (तीन) मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी ने पहले ही अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय कर दिया है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सीए. आनंद मल्लिकार्जुन उकामनल (सदस्यता संख्या 130139) का नाम, 4 फरवरी, 2022 से 02 (दो) वर्ष की

अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया था। समिति के इस आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 22(छ) के निबंधनानुसार उसके विरुद्ध एक अपील फाइल की और अपीलीय प्राधिकरण ने अपने तारीख 3 जुलाई, 2022 के आदेश द्वारा नाम हटाए जाने की अवधि को संशोधित करके दो वर्ष से 18 (अठारह) मास कर दिया था। तदनुसार, अपीलीय प्राधिकरण के उक्त आदेश के अनुसरण में तारीख 4 फरवरी, 2022 की उस अधिसूचना, जिसके द्वारा सी.ए. आनंद मल्लिकार्जुन उकामनल (सदस्यता संख्या 130139) का नाम 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया था, को उस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि उक्त सी.ए. आनंद मल्लिकार्जुन उकामनल (सदस्यता संख्या 130139) का नाम तारीख 4 फरवरी, 2022 से 2 (दो) वर्ष के स्थान पर 18 (अठारह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सी.ए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./300/2022-23]

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

**No. PPR/P/052/18/DD/12/INF/19/DC/1355/2020.**—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Anand Mallikarjun Ukamanal (Membership No. 130139), S/o Mr. M G Ukamanal, Ashok Building, Behind S S Temple, VIJAYAPURA 586 101**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Items (5),(6),(7) & (8) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Anand Mallikarjun Ukamanal (Membership No. 130139)** from the Register of Members for a period of 02(Two) years and also imposed a fine of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) to be paid within 3 (three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time his name be removed for additional 1(one) month. Since the Respondent has already paid the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the name of said **CA. Anand Mallikarjun Ukamanal (Membership No. 130139) was removed from the Register of Members for a period of 2(Two) years with effect from 4<sup>th</sup> February, 2022.** Aggrieved by Order of the Committee, the Respondent preferred an Appeal in terms of Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949 and the Appellate Authority vide its order dated 3<sup>rd</sup> July, 2022 had modified the period of removal of name from 2 years to 18(eighteen) months. Accordingly, in pursuance of the said order of the Appellate Authority, the notification dated 4<sup>th</sup> February, 2022 wherein the name of **CA. Anand Mallikarjun Ukamanal (Membership No. 130139)** was removed from the Register of Members for a period of 2(two) years is hereby modified to the extent that the name of **CA. Anand Mallikarjun Ukamanal (Membership No. 130139) stands removed for a period of 18(eighteen) months instead of 2(two) years w.e.f. 4<sup>th</sup> February, 2022.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./300/2022-23]